



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

11/19

सं. 112]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2002/फाल्गुन 17, 1923

No. 112]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2002/PHALGUNA 17, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2002

सा.का.नि. 177(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2002 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- परिभाषाएं- द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में,-
(क) खंड 3 के उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) घरेलू प्रवर्ग उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय 14.2 किग्रा/5 किग्रा की धारिता वाले सिलेण्डर में किया जाएगा और ऐसे उपभोक्ताओं को जो गैस-घरेलू प्रवर्ग के अधीन आते हैं, 19 कि.ग्रा./47.5 कि.ग्रा. की धारिता वाले सिलेण्डर में या ऐसी धारिता वाले सिलेण्डरों में किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।”

(ख) अनुसूची 2 में खंड 4(1) और 5 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

“अनुसूची 2

(खंड 4 (1) (ड) और 5 देखिए)

सरकारी तेल कंपनी के वितरणों को लागू होना

द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेण्डर का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 3198 (भाग 2), 1992 रंग कोड विनिर्देश आई एस 4379 और निम्नलिखित के अनुरूप होगा :

सिलेण्डर का आंतरिक व्यास मि.मी. में	सिलेण्डर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का शुद्ध भार
270 मि.मी. + 1 प्रतिशत - 0 प्रतिशत	5 कि.ग्रा. + 50 ग्राम
314 मि.मी. + 1 प्रतिशत - 0 प्रतिशत	14.2 कि.ग्रा. + 50 ग्राम
330.1 मि.मी. + 1 प्रतिशत - 0 प्रतिशत	19 कि.ग्रा. + 1 प्रतिशत
368.3 मि.मी. + 1 प्रतिशत - 0 प्रतिशत	47.5 कि.ग्रा. + 1 प्रतिशत

(+)

(- किसी भी ओर के अंतर को उपदर्शित करते हैं)

टिप्पण :

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गैस सिलेण्डर वाल्व का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 8737 भाग 2 विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसकी बाह्य पट्टी का व्यास 25.6 मि.मी. होगा।
- दाब रेगुलेटर आई एस 9798 विनिर्देश के अनुरूप होगा जिसका अतिरिक्त व्यास 25.6 मि.मी. होगा।”

[फा. सं. पी-17011/32/2001-विपणन]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण—मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 487(अ), तारीख 24 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER**

New Delhi, the 6th March, 2002

G.S.R. 177(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955(10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and

Distribution) Order, 2000, namely: -

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2002.

(2) It shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

1. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, -

(a) In clause 3, for sub clause (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The supply of liquefied petroleum gas to domestic category consumers shall be made in 14.2 Kg/ 5 Kg capacity cylinder and to those falling under non-domestic category shall be made in 19 Kg/47.5 Kg capacity cylinder, or in such capacity cylinders as may be notified, by the Central Government from time to time.”

(b) For Schedule - II, mentioned in clauses 4(1) (e) and 5, the following schedule shall be substituted, namely:-

“Schedule-II

(see clauses 4(1) (e) & 5)

Applicable to distributors of a Government Oil Company

Standard size and specification of Liquefied Petroleum Gas cylinders shall conform to IS 3196 (Part II), 1992 Colour code specification IS 4379 and the following :-

Internal diameter of Cylinder in mm	Net weight of liquefied petroleum gas in the cylinder
270 mm + 1% - 0%	5 Kg + 50 gms —
314 mm + 1% - 0%	14.2 Kg + 150 gms —
330.1 mm + 2% - 0%	19 Kg + 1.0% —

368.3 mm + 1%
- 0%

47.5 Kg + 1.0%

{+ }
{ - indicate the variations on either side }

Note:

1. Standard size and specification of Gas Cylinder Valve under the public distribution system shall conform to IS 8737 Part II specifications having an outlet collar diameter of 25.6 mm.
2. Pressure regulator shall conform to IS 9798 specification having an inlet diameter of 25.6 mm."

[F No. P-17011/32/2001-Mkt.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Foot Note : The principal order was published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India vide GSR 487(E) dated 24th May, 2000.